उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक
(प्रायोजक भारतीय स्टेट बैंक)

संप्रेषण

त्रैमासिक ई–पत्रिका, प्रथम अंक–जनवरी 2021

अध्यक्षीय सम्बोधन

नव वर्ष के आगमन की मांगलिक बेला पर बैंक की नवीन त्रैमासिक ई–पत्रिका "संप्रेषण" के प्रतिष्ठायक अंक के माध्यम से आप सब को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है।

विदित है कि पूर्व में भी बैंक द्वारा त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता रहा है, परन्तु कतिपय कारणों से उक्त पत्रिका का प्रकाशन बन्द रहा। वर्तमान समय में किसी व्यक्ति के विचारों तथा क्षमताओं से सभी को परिचित कराने का एक मंच तैयार करने की आवश्यकता प्रतीत हुई तथा पुनः एक त्रैमासिक पत्रिका की ई–प्रति को प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया।

संप्रेषण परस्पर विचारों एवं अभिव्यक्तियों को साझा करने की द्विपक्षीय प्रक्रिया है। शिक्षाविद् लुइस ए. एलन के अनुसार "संप्रेषण अर्थों का एक पूल है जिसमें कहने सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा सतत प्रक्रिया रहती है।"

अतः आप से विभिन्न अभिलेखों इत्यादि को प्रेषित करने हेतु अनुरोध भी किया गया है ताकि आपकी विभिन्न विशेषताओं/योग्यताओं से अन्य को भी परिचित किया जा सके। मुझे आशा है कि आप सभी व्यक्तिगत रूप से उक्त पत्रिका में लेख प्रकाशित करने तथा अभिव्यक्तियों को साझा करने हेतु स्वयं प्रेरित होगें। सूच्य है कि विभिन्न खर्चों में कटौती, पर्यावरण की सुरक्षा तथा डिजीटलीकरण को बढ़ावा देने के दृष्टिगत उक्त प्रत्रिका को मात्र ई–प्रति में ही प्रकाशित किया जायेगा, आपसे भी आशा है कि आप अधिकांश पत्राचार हेतु डिजीटल माध्यम का उपयोग करेंगे।

विगत वर्ष 2020 में फैली वैश्विक महामारी कोविड–19 की वजह से सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, फलस्वरूप बैंक की प्रगति में भी अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। विभिन्न अर्द्ध.शा. पत्रों/परिपत्रों/पत्रों

के माध्यम से नियन्त्रकों द्वारा व्यवसाय वृद्धि हेतु आपको प्रेरित भी किया गया है। अतः पुनः उन्हीं समस्त बातों को ना दोहराते हुए, मैं आशा करता हूँ कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास में आपके यथासम्भव प्रयासों से बैंक व्यवसाय में अपेक्षित वृद्धि दर्ज होगी तथा हमारा बैंक प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। मुझे विश्वास है कि आप कोविड–19 से बचाव हेतु जारी दिशानिर्देशों यथा सैनिटाइजेशन/मास्क/सोशल डिस्टेन्सिंग इत्यादि का पालन कर स्वयं तथा अन्य को सुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

अन्ततः, मैं अपनी अभिव्यक्तियों को इस आशा के साथ विराम देता हूँ कि भविष्य में संप्रेषण के माध्यम से आपके विचारों/विशेषताओं से परिचित होता रहूँगा तथा आपके सहयोग से बैंक की प्रगति का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त करूँगा।

पुनः नववर्ष की शुभकामनाओं सहित!

डा० ज्ञानेंद्र मणि, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा दिनांक 10.11.2020 को माइक्रो एटीएम का उदघाटन किया गया

बैंक की समस्त शाखाओं पर Micro ATM की स्थापना

विदित है कि उत्तराखण्ड राज्य की विभिन्न पर्यटक स्थल, चार धाम यात्रा तथा अन्य धार्मिक स्थलों की वजह से एक अलग पहचान है। अनेकों पर्यटक हमारे राज्य में आते हैं परन्तु हमारे बैंक की 286 शाखाएं का विशाल नेटवर्क होने के बावजूद भी हम पर्यटकों को बैंकिग सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि समस्त स्थलों पर ए.टी.एम की स्थापना कर पाना व्यवहार्य नहीं है। अतः बैंक की छवि में वृद्धि करने तथा पर्यटकों को ए.टी.एम. न होने के बावजूद भी बैंकिग सुविधाऐं प्रदान करने हेतु शाखा स्तर पर माइक्रो ए.टी.एम. की स्थापना करना एक श्रेयस्कर उपाय प्रतीत हुआ, क्योंकि माइक्रो ए.टी.एम. की स्थापना पर होने वाले व्यय की सहायता प्रतिपूर्ति नाबार्ड द्वारा की जा रही है। अद्यतन तिथि तक 50 शाखाओं में माइक्रो ए.टी.एम. कार्यरत हैं तथा अन्य समस्त शाखाओं हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

प्रथम चरण में शाखाओं पर माइक्रो ए.टी.एम. के माध्यम से बैंक द्वारा स्वयं के खाताधारकों को डेबिट कार्ड के माध्यम से खाता शेष की जांच, धनराशि जमा, धनराशि की निकासी, खाता विवरणी, धनान्तरण (Fund Transfer) आदि सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं तथा द्वितीय चरण में उपरोक्त समस्त सुविधाएँ **अन्य बैंकिंग नेटवर्क के ग्राहकों** के लिए भी उपलब्ध करायी जायेंगी।

शाखाओं पर माइक्रो ए.टी.एम. स्थापित किए जाने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे–

- RuPay कार्ड के एक्टिवेशन को गति मिलेगी तथा कार्ड एक्टिवेशन होने से कार्ड धारकों को बीमा आवरण प्राप्त होगा

- कार्ड तथा पिन / बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित लेनदेन से Risk Mitigate होगा
- लेनदेन की प्रक्रिया कार्ड तथा पिन/बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण पर आधारित होने के कारण ग्राहक को जमा, निकासी तथा धनान्तरण हेतु किसी प्रकार का फार्म भरना आवश्यक नहीं है, अतः पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी
- लेनदेन की प्रक्रिया में लगभग 30 सेकंड का समय लगता है, अतः त्वरित लेनदेन से ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होगी
- माइक्रो ए.टी.एम. के माध्यम से किए गए लेनदेन ई–ट्रान्ज़ैक्शन की श्रेणी में आते है, अतः माइक्रो ए. टी.एम. के माध्यम से किए गए लेनदेन वीवीआर में प्रदर्शित नहीं होगें
- वित्तीय जागरूकता तथा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा

Information related to Audit as per Bank's Policy

Grading	Score Range	Percentage	Risk Rating
Well-Controlled	850 & above	85% & Above	A+
Adequately Controlled	700 to 849	70% < 85%	A
Moderately Controlled	600 to 699	60% < 70%	B
Unsatisfactorily Controlled	Less than 600	< 60%	C

Periodicity of RFIA	
Rating	**Months**
Well-Controlled (WC) [A+]	18
Adequately Controlled (AC) [A]	18
Moderately Controlled (MC) [B]	12
Unsatisfactorily Controlled [C]	06
*Units with **sudden growth of advances** – 100% & above in a year*	*For WC / AC / MC rated branches period will be advanced by 3 months*

Self Audit

The Self Audit by the Branch Manager shall be carried out in mid of the two RFIA (**In the 9th month of the last audit**). Branch shall conduct Self-Audit on the **ARF** (Audit Report Format, which is meant for the original RFIA) and submitting the hard copy thereof to their Controllers for validation/approval. The Self Audit Score shall be validated by the controller meaningfully. Inspector shall award self audit marks as per detail given below: ---

~ Branch should have **V**alidated **S**elf **A**udit (**VSA**) score after validation/approval from their Controllers

~ "Self Audit" section carrying a score of maximum **10 marks** : **in 3 parts**

A] Self Audit done meaningfully before 3 Months of Due Date of RFIA : 03 Marks
B] Self Audit meaningfully validated by RO : 02 Marks
C] Comparison marks from VSA Score to RFIA Score : 05 Marks

~ Inspector has to award either zero (0) or 5. Thus he has to compare RFIA Score with VSA Score (out of 990): it will not carry any score if **RFIA Score is less than 95% of VSA score** [i.e. **Award 0 if RFIA score is less than 760** / **Award 5 if RFIA Score is 760 & above (out of 990) and VSA Score is 800 out of 990**]

Time frame for Compliance Remarks	
Time frame for branch for disposal of audit report	Within 12 weeks *(from the date of the report)*
Time frame for HO to process compliance remarks	2 weeks

Awarding of Marks	
Core Parameters	**Max. Score**
Business Development	100
Credit Risk Management	450
Operational Risk Management	410
External Compliance	30
Self-Audit	10
TOTAL	1000

Incentive		Penalty	
Incentive for early Closure of RFIA Report		Penalty for submitting false compliances	
Duly validated compliance is to be submitted within 2 months from the date of Audit to Head office and report to be closed in one stroke (without any supplementary compliance from the auditee unit {Branch})	15 Marks to be added to the RFIA Score	Negative marking on account of submitting false compliances. Provision for deduction of marks, as deterrent to false compliance	
		[A] High & Medium Risk –	1 Mark for each false compliance
		[B] Low & Very Low Risk –	0.5 Mark for each false compliance

Ishwar Kumar
General Manager
(Admin & IT)

It's not about being the best, it's about being better than you were yesterday.

SUCCESS STORY OF SOLAR POWER PROJECTS FINANCED BY UGB PAURI

Our PM is exploring new strategies to make full use of the country's solar energy potential as Solar Electricity is now considered to be economically competitive as compared to conventional energy sources. Also, our future clearly depends on our ability to utilize solar & other renewable sources of energy.

Even the State Governments are aiming at increasing their power generation capacity through Solar Plant Model. Thereby, they have launched miscellaneous programmes for households & business developers to help them set up Solar Power Plants. These programmes have been launched at a time when there is a growing demand for electricity & hydropower projects are taking a toll on the environment.

Uttarakhand is a leading state of the country in non-conventional energy resources applications. In Uttarakhand, operation & execution of various schemes based on non-conventional energy sources is handled by UREDA (Uttarakhand Renewable Energy Development Agency) through local Panchayats, Volunteer Organizations & District Administration. As part of various environment friendly policies, UREDA in co-ordination with MSME has been encouraged to take a leading role in the development of the renewable energy sector in line with the guidance of Ministry of New and Renewable Energy and the conductive platform for the promotion of energy conservation.

Hence, Solar Power scheme is a big hit in Uttarakhand.

Importance of Solar Energy:

a) Solar energy represents a clean, free, renewable & green source of energy & is a great way to reduce carbon footprint.

b) Solar energy is economical as compared to our relativity on fossil fuels such as coal & natural gas.

c) Solar power can use under-utilized land/ barren lands. Hence, we dont need to use high priced land that might be better suited for other applications.

d) Solar power improves Grid security & leads to economic growth of the nation

Incentives:

The solar power programme is backed by 2 incentives:

a) A subsidy for installation of the plant which is popularly known as Capital Subsidy along with Interest Subsidy on periodical basis.

b) A high feed in Tariff for every excess unit of power received by the Grid.

Uttarakhand Gramin Bank in co-ordination with various departments have initiated the process of providing financial assistance to various volunteer organizations/individuals. Wherein, we succeeded in getting 2 Solar Power Applications.

They were proposing to set up Solar Power Projects of 200 KW each at **Village Odda, PO Kot, Pauri, Pauri Garhwal, Uttarakhand.** Each project was costing them around **Rs. 82.40 Lakh. Pauri** is located partly in the Gangetic plain & partly in the Northern Himalayas.

The landscape of the town is as such that there is a lot of un-utilized/ barren land. Also, there is less scope of industrial developments in this region. However, Solar Energy seems to be enormous in this region because of its geographical structure.

Hence, Uttarakhand Gramin Bank, Pauri Branch chose to provide financial assistance for above mentioned project.

The summary of the project is as follows:-

- Total Cost of each project was **Rs.82.40 Lakh.**
- Finance requested was **Rs.56.00 Lakh** each.
- Margin induced by the applicants was **Rs.26.40 Lakh** each.
- Incentive proposed is **Rs.26.25 Lakh** each (35% of capital expenditure in plant & machinery) along with **6%** interest subsidy.

The units were financed on 22 July 2020 under the guidance of ROCC Pauri & it became operational & was inaugurated on 28 Sep 2020. The units as on date is fully operational & connected directly with the grid. The units are expected to receive the payments through UPCL by December end in their respective ESCROW accounts.

On the basis of the above mentioned projects, UGB Pauri branch has sourced 2 more proposals of 600KW & 200KW each at Village Falswadi & Village Uregi respectively of Rs.1.50 Crore & Rs. 0.70 Crore which are in pipeline & are expected to be sanctioned & disbursed soon.

It's the first but not the least!

Branch Pauri

शाखा पौड़ी को सोलर पॉवर प्रोज़ेक्ट वित्तपोषण में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार जिला अल्मोड़ा के शत प्रतिशत डिजिटलाइज़ेशन हेतु, मोबाइल साक्षरता वैन में स्थापित Desktop ATM से राशि आहरण करती जनता तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई वीडियो के माध्यम से जनता को वित्तीय साक्षर एवं जागरूक करते हुए।

यू पी आई (UPI) फ्रॉड (जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए)

UPI से जालसाज़ खातेदार को नुकसान खातेदार की लापरवाही से ही पहुंचा सकते हैं, यदि आप किसी अंजान आदमी को फोन पर अपने डेबिट कार्ड का विवरण देते हैं, यूपीआई रजिस्ट्रेशन ओटीपी आदि साझा कर देते हैं तो धोखेबाज इस डेटा का उपयोग नया वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) आईडी बना कर लेनदेन करने के लिए MPIN सेट कर आपके खाते में सेंधमारी करने में सफल हो जाते हैं। ऐसी घटनाएँ लोगों की लापरवाही से व जानकारी के अभाव में आम हो रही हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी ऑनलाइन यूज़र्स को एक एडवाइजरी भी जारी की हुई है, इसमें एक खास एप के बारे में चेतावनी भी दी गई है, इसकी मदद से जालसाजों ने लोगों के खातों से पैसे साफ कर दिए । धोखाधड़ी करने वाले आपको AnyDesk एप डाउनलोड करने और 9 अंक का कोड साझा करने के लिए कहते हैं, एक बार यह कोड जालसाजों के हाथ लग जाने पर पैसे चुराने के लिए वे इससे आपके फोन तक पहुंच हासिल कर लेते हैं।

इस तरह की धोखाधड़ी रोकने के लिए आपको कभी भी डेबिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी, रजिस्ट्रेशन ओटीपी जैसे विवरण को किसी से भी साझा नहीं करने चाहिए। आपका बैंक इस तरह के डिटेल के लिए आपसे कभी नहीं पूछता है। अनजाने लिंक पर क्लिक करने या किसी भी संदिग्ध एसएमएस को फॉर्वर्ड करने से बचें । अपने UPI MPIN को कभी भी किसी के साथ साझा न करें, तभी आप धोखाधड़ी से बचेंगे। UPI ऐप जैसे google pay आदि में request money की भी सुविधा होती है, जिसका फायदा उठा कर जालसाज बातों में उलझा कर पैसे भेजने के नाम पर आपसे लेनदेन की पुष्टि आपसे UPI PIN डलवा कर आपके खाते से पैसे उड़ा ले जाते हैं।

A great employee is like a four leaf clover, hard to find & lucky to have.

भू स्वामित्व व कपटपूर्ण सम्पत्ति बंधन की समस्यायें, सुझाव और निराकरण

विश्व बैंक की 2007 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित कुल वादों में लगभग दो तिहाई मामले भू स्वामित्व से सम्बंधित वाद के ही है, जिनके अंतिम निस्तारण में नीति आयोग के एक आकलन के अनुसार, औसतन 20 वर्ष का समय लग जाता है। इस गम्भीर मुख्य समस्या का कारण भू स्वामित्व के विलेखों का अस्पष्ट होना है, जिसका मूल भू–रिकार्डों के आधार पर लगान वसूलने के विरासत में मिले जमींदारी प्रचलन,कानूनी ढांचे में कमी व पहले से खस्ताहाल भू रिकार्ड के रखरखाव में निहित है। आज की तिथि तक ऐसा कोई एक सर्वमान्य कानूनी ढांचा नहीं है जिसमें सरकार भू स्वामियों को सम्पत्ति का हकदार होने की जमानत देती हो। अतः भू स्वामी होने का कोई भी विलेख मात्र स्वामी होने की सम्भावना ही व्यक्त करता है।

सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में यह विर्निदिष्ट है कि किसी अचल सम्पत्ति पर कोई अधिकार मात्र पंजीकृत विलेख से ही अंतरित किया जा सकता है और ये विलेख पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंर्तगत ही पंजीकृत किये जा सकते हैं। स्पष्टतः किसी अचल सम्पत्ति का पंजीकरण यथा विक्रय विलेख, लीज डीड आदि मात्र उक्त सम्पत्ति में अधिकार के केवल लेनदेन का विवरण ही अंकित करते हैं और सरकार ऐसे लेनदेन के बाद किसी को स्वामित्व अधिकार की जमानत नहीं देती है। साधारण शब्दों में कहें तो किसी भी अचल सम्पत्ति में सदाशयता में कृत अधिकार का लेनदेन हमेशा किसी को वास्तविक स्वामी होने की जमानत नहीं देता, क्योंकि कोई भी इस सम्पत्ति में पूर्व के किसी अधिकार के लेनदेन के आधार पर इसे कभी भी चुनौती दे सकता है। यहां यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि क्रेता रजिस्ट्रार को इसलिये दोष नहीं दे सकता क्योंकि सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी की हर प्रकार से जांच करने का उत्तरदायित्व क्रेता का ही है। उल्लेखनीय है कि किसी विलेख का पंजीकरण उस विलेख को मात्र स्थायी पब्लिक रिकार्ड ही बनाता है। भू अधिकार अंतरण से सम्बंधित कोई विलेख जिसका पंजीकरण अनिवार्य है व यदि यह विलेख पंजीकृत नहीं है तो न्यायालय ऐसे विलेख के आधार पर इस विलेख को भू स्वामित्व का साक्ष्य नहीं मानते और मूल समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है। वास्तव में किसी एक या एक से अधिक विलेखों के आधार पर किसी को सम्पत्ति का स्वतः स्वामी नहीं माना जाता।भारत में वर्तमान में अचल सम्पत्ति के स्वामित्व निर्धारण हेतु कई विलेखों को लिया जाता है यथा पंजीकृत विलेख, लीज विलेख, खतौनी, सम्पत्ति कर रसीद,सरकारी सर्वे विलेख आदि। स्पष्टतः भू स्वामित्व यद्यपि कई विलेखों से निर्धारित किये जाते हैं पर ये स्वभाव में अनुमानित हैं, जिन्हें चुनौती दी जा सकती है, और स्वामित्व संदेह के घेरे में आ जाता है। इसलिये किसी भी अचल सम्पत्ति को क्रय करने/बंधक रखने में सावधानी का पहलू ही क्रेता और बंधककर्ता को धोखाधडी और फर्जीवाड़े से बचा सकता है। यदि सम्पूर्ण सावधानियों के बाद भी विक्रेता क्रेता को गलत सम्पत्ति बेचता है या क्रेता गलत सम्पत्ति बंधक रखता है तो क्रेता और बंधक स्वीकारकर्ता इस धोखाधडी और इससे हुये नुकसान की भरपायी के लिये विक्रेता और बंधककर्ता के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं व पुलिस में धोखाधडी की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

वर्तमान में इस स्थिति के बने रहने के कारण व सुधार के लिये किये जा रहे प्रयासों को हम निम्नानुसार वर्गीकृत कर सकते हैं,

- सम्पत्ति के पंजीकरण की लागत अधिक होने के व इसके अनिवार्य न होने की एक प्रमुख समस्या है। भारत में अचल सम्पत्ति के पंजीकरण में मुख्य समस्या स्टाम्प ड्यूटी की दर दूसरे देशों की प्रचलित दर 1% से 4% के मुकाबले 4% से 10% तक होने व पंजीकरण शुल्क 0.5% से 2% तक होने व सभी लेनदेनों में पंजीकरण की अनिवार्यता न होने जिसमें सरकार द्वारा भू अधिग्रहण, न्यायालय आदेश,विरासत की सम्पत्ति का विभाजन व एक वर्ष से कम की लीज आदि हैं। अतः अनिवार्य पंजीकृत विलेख बनाने में लागत एक प्रमुख समस्या है।
- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2008 में जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि भूमि से सम्बंधित रिकार्ड में कई प्रकार की जानकारियां होती हैं जैसे सम्पत्ति का विवरण,स्थानिक विवरण,विगत अधिकार लेनदेन/अंतरण व सम्पत्ति बंधक विवरण आदि जैसे रिकार्ड विभिन्न स्तरों पर अलग अलग विभागों द्वारा बिना आपसी सामंजस्य के जल्दी या देर से या नहीं भी अंकित किये जाते है ।इस कार्य की कोई समय सीमा का पालन नहीं किया जाता है और सम्पत्ति के रिकार्ड में विसंगति बनी रहती है, उदाहरणार्थ किसी सम्पत्ति में पंजीकृत विक्रय प्रलेख द्वारा कृत अधिकार लेनदेन साथ साथ राजस्व विभाग की खतौनी व स्थानिक जानकारी से सम्बंधित नक्शे में दर्ज नहीं होते,पूर्व में इस प्रकार के कृत लेनदेन कई बार भू रिकार्ड में दर्ज नहीं होते और सम्पत्तियों के नक्शे में सम्पत्ति की सीमायें दर्ज नहीं होतीं, इसलिये अधिकतर रिकार्डस में विलेखों में अंकित सम्पत्ति जमीन पर भिन्न हो जाती है।
- खस्ताहाल भू रिकार्ड इस प्रकार भविष्य में होने वाले सम्पत्ति में अधिकार के लेनदेन को प्रभावित करते हैं। अतः सम्पत्ति के रिकार्ड को सही प्रकार से ढूंढना एक दुरुह कार्य है और सम्पत्ति में

लेनदेन के प्रकरणों को सामान्यतः 15 से 30 वर्षों तक उपलब्ध एक एक रिकार्ड को देखा जाता है जिनमें भी रिकार्ड के अद्यतन न होने की सम्भावना हमेशा बनी रहती है।

इन समस्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुये निर्णायक स्वामित्व टाइटल की दिशा में कार्य करने हेतु सरकारी गारंटी युक्त भू स्वामित्व टाईटल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके लिये पंजीकृत स्वामित्व टाइटल (न कि सेल डीड, लीज डीड आदि) को सम्पत्ति के स्वामित्व का मूल साक्ष्य माना जाना है। भू रिकार्डों में सुधार के लिये भारत सरकार ने अगस्त 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है जिसके मुख्य उद्देश्य आधुनिक विस्तृत पारदर्शी भूमि रिकार्ड प्रबंधन करते हुये देश में भूमि स्वामित्व की सरकार द्वारा जमानत दिया जाना है, जिसके निम्नलिखित चार प्रमुख सिद्धान्त बनाये गये हैं

- सभी भू रिकार्ड एक ही स्थान पर संकलित हों, जैसे भूमि से सम्बंधित नक्शे, खतौनी, बंदोबस्त की कार्यवाही और अचल सम्पत्तियों के पंजीकरण
- दर्पण सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करे कि भूमि के नक्शे जमीनी हकीकत से मेल खायें।
- करटेन सिद्धांत जो यह सुनिश्चित करे कि टाइटल विलेख सम्पत्ति स्वामित्व को सही प्रदर्शित करे, जिसमें विलेख के पंजीकरण के समय स्वतः म्यूटेशन हो जाये, जिसमें विगत रिकार्ड का संदर्भ देना आवश्यक नहीं होगा।
- चौथा प्रमुख बिन्दु टाइटल बीमा है जो स्वामित्व के सही होने की जमानत दे व यदि टाइटलधारी के स्वामित्व रिकार्ड में किसी भी प्रकार की विसंगति हो तो सरकार द्वारा उचित क्षतिपूर्ति की जा सके।

उक्त उद्देश्यों की शीघ्र पूर्ति हेतु निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं

⇒ सभी भूमि रिकार्ड व म्यूटेशन का कम्प्यूटरीकरण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। वर्तमान में देश का 86% भू रिकार्ड कम्प्यूटरीकृत हो चुका है व म्यूटेशन का कार्य 47% पूर्ण हो चुका है।

⇒ सभी स्थानिक, शाब्दिक और नक्शों का डिजीटलाइजेशन। वर्तमान में यह कार्य 39% पूर्ण किया जा चुका है।

⇒ सर्वे/रीसर्वे, खतौनी, सभी स्थानिक रिकार्ड व बन्दोबस्ती रिकार्ड को कम्प्यूटरीकृत कर अद्यतन किया जाना। यह कार्य अभी तक देश के 9% गांवों में ही पूर्ण हुआ है।

⇒ पंजीकृत विलेखों को भूमि रिकार्ड के साथ जोड़ते हुये एक समन्वित रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण।

⇒ जियो स्पैशल इनफारमेशन सिस्टम व क्षमता निर्माण विकास

इस हेतु भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति ने भूमि रिकार्ड को एक साथ अद्यतन करने के लिये ग्राम स्तर, ब्लाक स्तर व जनपद स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों की क्षमता संर्वधन पर तात्कालिक आवश्यकता व्यक्त की है। समिति ने कहा है कि इस हेतु देश के लगभग 2 लाख पटवारियों, 50000 से अधिक सर्वे कर्मचारियों व लगभग 5000 तहसीलों तथा लगभग 4000 रजिस्ट्रार कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को अविलम्ब प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। सरकार इस दिशा में अत्यंत गम्भीर है व आने वाले 5 वर्षों में भू स्वामित्व के रिकार्ड अद्यतन होने का अनुमान है तथा स्वामित्व परिर्वतन पर एक ही स्थान से विभिन्न चरणों के रिकार्ड अविलम्ब एक साथ अद्यतन हो सकेगें। इस सम्बंध में राज्य व केन्द्र सरकार के स्तर पर आवश्यक कानून लाकर सरकारी गारंटी युक्त भू स्वामित्व प्रमाण पत्र सरकार द्वारा दिये जा सकेंगे तथा भूमि स्वामित्व विवादों की स्थिति समाप्त हो सकेगी।

अतः जब तक सरकार भू स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी नहीं करती, शाखा स्तर पर सम्पत्ति की चेन आफ टाइटल के पूर्ण होने, पिछले 30 वर्ष के सम्पत्ति अंतरण लेनदेन की खोज, राजस्व रिकार्ड में दर्ज म्यूटेशन,नगर पालिका/नगर निगम क्षेत्र में गृह कर रसीद आदि का प्रस्तुत क्रय विलेख, लीज डीड आदि में वर्णित जानकारी के आपसी मिलान को वास्तविक सम्पत्ति के भौतिक सत्यापन के साथ सरसाई में सम्पत्ति की इन्क्वायरी कर सही स्वामित्व निर्धारण की सम्भावना बढाया जाना बैंक हित में आवश्यक है। इसके साथ सम्पत्ति बंधककर्ता से सम्पत्ति के हर प्रकार से भार मुक्त होने व टाइटल डीड के मूल होने के शपथपत्र के साथ यदि भविष्य में इस सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार के विवाद होने से बैंक को यदि कोई हानि होती है तो इस आशय का अतिरिक्त क्षतिपूर्ति पत्र अवश्य लिया जाना चाहिये, ताकि बैंक हित सुरक्षित रहें।

संजीव सांख्यधर
मुख्य प्रबंधक (आई.टी.)
प्रधान कार्यालय
देहरादून

बैंक के नवम स्थापना दिवस पर जरूरतमंद व्यक्तियों को कम्बल/गरम कपड़ों का वितरण करते बैंक कार्मिक

दिनांक 12.12.2020 को क्षेत्रीय कार्यालय चतुर्थ (अ) द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र, काशीपुर मे नाबार्ड के सौजन्य से जिला उधम सिंह नगर के प्रगतिशील कृषकों हेतु FPO से संबंधित आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया गया | उक्त कार्यक्रम के साथ ही डा० ज्ञानेंद्र मणि, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा हमारी शाखाओं प्रतापपुर एवं लालपुर के स्वयं सहायता समूहों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किये गये।

जनपद उधमसिंहनगर में दिनांक 21.11.2020 को रुद्रपुर में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत तथा अति० क्षेत्रीय प्रबंधक चतुर्थ (अ) श्री शैलेश नौटियाल द्वारा लाभार्थियों को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चैक वितरण किया गया।

The joy of giving last forever.

ग्रामीण कार्यकाल का अनुभव

1990 में बेरोज़गारी से मुक्ति बैंक में नौकरी लगने से मिल ही गयी. हम जो दोस्तों के साथ 2 की 3 चाय पिया करते थे, एक साथ 3200 रुपये की नौकरी पाकर बेहद खुश हुए, इतने पैसे तो कभी एक साथ मिले नहीं थे. ख़ुशी स्वाभाविक थी मगर जल्द ही यह ख़ुशी हवा होनी थी क्योंकि जैती (जिला अल्मोड़ा) में पहली पोस्टिंग मिली. नैनीताल से वहां पहुँचने के लिए 4 गाड़ियाँ बदलनी पड़ती थी और आखिर के 22 किलोमीटर तो कच्चे धूल भरे रस्ते से गुजरना होता तब गाड़ी धूल से भर जाती और लोग अपने तौलिये, दुप्पटे से अपने सिर् और मुंह को ढांप लेते और कहा जाता था एक आपके चेहरे में मुफ्त में पाउडर लग जाता है. गाडी से उतरने पर हर कोई अपने कपड़े झाड़ता नज़र आता.
शहर से गाँव वह भी दूर दुर्गम में आना उबाने लगा, बैंक के बारे में इमेज ये थी कि साहब तो वाउचर पास करते हैं और केशियर पेमेंट बस.....२ बजे छुट्टी, मगर देखा यहाँ तो बैलेंसिंग, लोन बांटना, लोन वसूलना और भी बहुत कुछ होता है, जो नीरस लगने लगा, नौजवानी के दिन जो मित्रों के साथ मौज मस्ती में कट रहे थे, रह रह याद आने लगे. यहाँ तो शाम होते ही ख़ामोशी छा जाती, अँधेरा और ख़ामोशी, उन दिनों मोबाइल तो दूर लैंड लाइन फ़ोन भी नहीं होते थे, मनपसंद चीजें भी यहाँ मय्यसर नहीं थी.

जब आप किसी अनजान जगह जाते हैं तो एक भय होता है, जिसे "अपरिचित का भय " (Fear of unknown) कहते हैं ,तब हर चीज़ को आप थोड़ी सहज हो कर नहीं देखते. नौकरी छोड़ने का मन कई बार हुआ, मगर कोई विकल्प नहीं था इसलिए लगा कि अब मन तो लगाना ही पडेगा, इसलिए फोटोग्राफी को जिसे अभी तक जेब में पैसे ना होने के कारण एक ख्वाब की तरह दबा रखा था, अब सामने लाना था. एक रशियन कैमरा ख़रीदा गया, उन दिनों फोटोग्राफी एक महंगा शौक होता था, क्योंकि रील की खरीद, धुलाई, प्रिंटिंग काफी महँगी पड़ती, मगर अब पैसे खर्च करने में डर नहीं था, इस के कारण बोरियत कम होने लगी.
उधर रोजमर्रा के ग्राहकों से परिचय हुआ तो धीरे धीरे इलाके के रीति-रिवाजों, संस्कृति, लोकगीतों, इतिहास, किस्से कहानियों दर्शनीय स्थलों के साथ साथ उनकी ज़िन्दगी की कठिनाइयों से परिचय हुआ, सबसे बड़ी बात जिसने मुझे जनता से अलग समझने से रोका वह था

शाखा में आने वाले ग्राहकों से बातचीत जिसमे कई बार वे अपनी जिंदगी के अनखुले पन्नों को सामने रख देते, जैसे एक महिला का पति 16 साल पहले एक दिन चुपचाप घर से चल दिया और गुमशुदा हो गया मगर 16 साल बाद लौट आया यह एक अजीब सी घटना थी, जो रह रह मुझे हैरान परेशान कर देती. इसी तरह पुरुषवादी सोच से सिक्त एक व्यक्ति का व्यवहार जो अगर कभी किसी दूर गाँव जाता तो उसकी पत्नी उसके साथ कुर्सी उठा कर चलती और जहाँ उस व्यक्ति को सुस्ताना होता पत्नी कुर्सी नीचे रखती और वह कमबख्त उसमें बैठ बीड़ी की चुस्कियां लेता. मानव व्यवहार के कई पहलू सामने आने लगे, जब कभी वसूली में जाते तो लगता इनको विकास के नाम पर लोन तो दिया मगर आर्थिक गतिविधियों के लिए माहौल नहीं बन पाया और ये डिफाल्टर हो गए, श्रम करती महिलाओं की मेहनत देख मैं नतमस्तक होने लगा.

कई बार मजेदार घटनाएँ भी होती, हाई स्कूल, इंटर की परीक्षाओं में यहाँ भी खूब नक़ल होती. एक बार बोर्ड परीक्षा के दौरान गाँव वालों ने एक सरकारी जीप देखी तो सनसनी फ़ैल गयी, लोगों ने कहा फ्लाइंग स्क्वाड आ गया और हर कोई सीटी बजाता, हल्ला करता स्कूल की तरफ भागने लगा कि बच्चों को नक़ल करते पकडे जाने से रोकना है. स्कूल की खिड़कियों से पर्चियां, किताबें लहरा कर बाहर आने लगी, बाद में पता चला वह फ्लाइंग स्क्वाड नहीं वन विभाग का कोई अधिकारी था, पर बच्चों का पेपर तो ख़राब हो ही गया.
यहीं के कुञ्ज गाँव में एक बुजुर्ग मूर्तिकार से परिचय हुआ जब मैं वहां वसूली में गया था, उन बुजुर्ग के हाथ में अदभुत हुनर था, कठोर पत्थर को मूर्ति में ढाल देते, वह भी खासी सुन्दरता के साथ, मगर सरलता इतनी थी कि जब मुझे उन्होंने एक मूर्ति दी, जब मैंने पूछा इसका क्या देना होगा, तो उन्होंने कहा बस आप जब नैनीताल से आयें तो मेरे लिए एक छेनी ले आना, मेरी छेनी ख़राब हो गयी है, ऐसे रत्न भी थे.

ऐसा नहीं होता कि गाँव में सब अच्छा होता है, मानव स्वभाव से सम्बंधित बुराइयाँ हर जगह थोड़ी बहुत होती ही हैं, मगर इतना जरूर है कि जब आप गाँव के लोगों की मन से सेवा करते हैं तो वे आपको वर्षों याद करते हैं, शहरों में ऐसा नहीं होता. गाँव में जब कोई आपके व्यवहार से संतुष्ट होता है खुश होता है तो अगली बार आपके लिए अपने पेड़ से जो चार फल लाकर आपकी मेज पर रखता है, उसे आप स्वीकार न करें तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि यह उसके आभार व्यक्त करने का तरीका है. अगर आप किसी के यहाँ शादी या नामकरण में जाते हैं तो आपको इतना सम्मान मिलता है, जैसे आप कोई वीआइपी हों. मुझे याद आते हैं उस समय के हमारे बैंक में कार्यरत सहकर्मी अशोक कुमार जी जो मूलतः गोरखपुर के थे, और तब एक बीहड़ सी ब्रांच में थे, मगर धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय बोली सीखी और बाद में हमारी ही तरह पहाड़ी बोलने लगे, उनके तबादले को कई बार स्थानीय लोगों ने रुकवाने की कोशिश की, और उनके जाने के बाद सालों तक उनको याद करते थे, ऐसे लोगों से बहुत प्रेरणा मिलती थी.

ग्रामीण इलाकों में करीब 14 सालों तक सेवा के बाद, जिस दौरान मुझे कई अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ ही नहीं मिले बल्कि लोगों का स्नेह और आशीर्वाद भी मिला. आज मैं बैंक से अवकाश प्राप्ति के करीब हूँ, अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि अगर आपने तय कर लिया है कि मुझे ग्रामीण बैंक में नौकरी करनी ही है और कुछ साल ग्रामीण इलाकों में रहना ही होगा तो जनता से लगाव रखिये, नियम कानूनों के चलते जो संभव हो उनकी सेवा करिए इसका जो इनाम मिलेगा आपके लिए यादगार होगा.

प्रदीप कुमार पाण्डेय
शाखा प्रबंधक
शाखा नैनीताल

गुरु और भगवान में एक अंतर है ....।

एक आदमी के घर गुरु और भगवान पहुंच गये । वह बाहर आया और वह भगवान के चरणों में गिरा तो भगवान बोले, रूको रूको पहले गुरु के चरणों में जाओ । वह दौड़ कर गुरु के चरणों में गया तो गुरु बोले, मैं भगवान को लाया हूँ पहले भगवान के चरणों में जाओ । वह भगवान के चरणों में गया तो भगवान बोले,...... इस भगवान को गुरु ही लाया है न, गुरु ने ही बताया है न । इसलिए गुरु के चरणों में जाओ । फिर वह गुरु चरणों में गया तो गुरु बोले ...... मैंने तो तुम्हें बताया ही न, लेकिन तुम्हें बनाया किसने ?? भगवान ने ही तो बनाया है न । इसलिए पहले भगवान के चरणों में जाओ । फिर वह भगवान के चरणों में गया तो भगवान बोले ..... रूको, मैंने तुम्हें बनाया यह सब ठीक है। तुम मेरे चरणों में आ गये हो । लेकिन यहाँ मेरे न्याय की पद्धति है कि अगर अच्छा किया है अच्छे कर्म किए हैं तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी योनि मिलेगी । अगर तुम बुरे कर्म करके आए तो मेरे यहाँ दंड का प्रावधान भी है, दंड मिलेगा, फिर अटकोगे, फिर तुम्हारी आत्मा को तकलीफ होगी, फिर नरक मिलेगा , और अटक जाओगे । लेकिन .....यह गुरु है न,.........बहुत भोला है । इसके पास पहले चले गये तो, तुम जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, यह तुम्हें गले लगा लेगा, और तुम्हें शुद्ध करके मेरे चरणों में रख जायेगा । यहाँ ईनाम ही ईनाम है । यही कारण है कि गुरु किसी को भगाता नहीं, गुरु निखारता है जो भी उसे मिलता है, उसे गले लगाता है । उसको अच्छा करता है और भगवान के चरणों में भेज देता है ।

राजेन्द्र अरोड़ा
प्रबंधक
क्षेत्रीय कार्यालय प्रथम (अ)

5 ट्रिलियन इकॉनमी और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक

अपने पिछले बजट भाषण मे भारत की वित्त मंत्री ने भारत की इकॉनमी को वित्तीय वर्ष 2024- 25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की बात कही है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है की ये 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी क्या है । मूल रूप से संदर्भ एक अर्थव्यवस्था के आकार का है जिसे वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी द्वारा मापा जाता है। अंगूठे के नियम के रूप में, अर्थव्यवस्था का आकार जितना बड़ा होगा, उतना समृद्ध होने की उम्मीद की जा सकती है। मार्च 2020 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2.7-2.8 ट्रिलियन डॉलर था ।

अब सवाल ये आता है की इन भारी भरकम आंकड़ो मे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की क्या भूमिका हो सकती है । इस के लिए हमें भारत की जनसांख्यिकी को समझना होगा । 2011 की जनगणना के अनुसार 70 प्रतिशत भारत गांवों मे बसता है । और अगर भारत की इकॉनमी को लक्ष्य तक पहुचना है तो गांवों का विकास होना जरूरी है । उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की 286 शाखाओं में से 257 शाखाये अर्ध ग्रामीण या ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवायें दे रही हैं, और अगर ग्रामीण भारत को मुख्यधारा की अर्थव्यवस्था से जोड़ना है तो ग्रामीण बैंक का महत्व काफी बढ़ जाता है ।

इस के लिए हर बैंक प्रतिनिधि को एक वित्तीय नियोजक (Financial Planner) की तरह काम करना होगा और भारत सरकार तथा उत्तराखंड सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न वित्तीय योजनाओं के बारे में बारीकी से ग्राम वासियों को समझा कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना होगा । अगर सभी बैंक प्रतिनिधि इस ओर पूरी सामर्थ्य से जुट जायें तो यह एक जनक्रान्ति बन सकती है और अगर ये जनक्रान्ति बन गयी तो भारत को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता ।

नीरज तिवारी
कार्यालय सहायक
शाखा सानिउडियार

God's plan is always more beautiful than our desire.

Cluster Financing (KCC) by Branch Sinora, Distt Almora

Branch Sinora, district Almora participated in cluster based financing in village Pantgaon for the cultivation of potato and ginger.

The farmers have been advised to cultivate by creating small farm groups instead of cultivating on an individual basis. This will reduce their overall expenditure as they will share the burdens of procuring, marketing, fertilizing and selling the produce. The bank has also advised them to make hubs and then market their yield to the nearby mandis such as Haldwani and Ramnagar.

This will empower them to bargain for a better price of their produce. The labour in farm will also be divided in a more efficient manner and thus the profit margins will be substantially enhanced by adopting the cluster based approach. This will particularly be helpful as there is less mechanised farming in the hilly area due to the tough terrain. The damage done to the crops by various vermin such as monkey, pigs and porcupine will also be checked.

Yogesh Chandra Pant
Branch Manager
Branch Sinora

Moment of great pride for UGB

The First 'Mahindra Thar Jeep' (II Generation) of Uttarakhand was financed by Branch Landora (loan amount Rs. 12.25 Lakhs)

A Great effort by Branch Landora, AMH Roorkee and RO 1A for sourcing, procuring documents and processing the same in time bound manner.

शाखा पाटन द्वारा आयोजित क्रेडिट लिंकेज शिविर में 45 स्वयं सहायता समूहों को ऋण मंजूर किये गए

शाखा प्रतापपुर द्वारा आयोजित ऋण शिविर में 30 ग्रामीणों को रु 40 लाख का ऋण बांटा गया

पारिवारिक प्रतिभायें

रहने देना

रहने देती हूं कई बार कड़वाहट की बौछार,
चुप हो जाना बेहतर है अपने अंदर की शांति समेटने के लिए,
कि बोलने से तो केवल अल्फ़ाज़ टकराया करते हैं।
जो ख्यालात मिलते होते,
तो शब्दों का टकराव नहीं घर करता किसी परिणाम में
जहां एक दूसरे के प्रति कोई मेल ना होना स्पष्ट करता है,
मानवीय दुनिया का अमानवीय सत्य।
मैं यह नहीं कहती कि क्रोध ही जिम्मेवार है,
परंतु होश में होश न रहना इन सबका पहरेदार है।

रहने देती हूं कई बार मायूसी के बादलों का घेराव अपने मन के आसमानों पर भी,
उदासी के बाद खुशी की अलग ही बात है।
जैसे बरसात के बाद आसमानों पर तारे बेहतर टिमटिमाया करते हैं,
मानो बढ़ गई हो उनकी चमकार।
कि नहीं देख पाते हैं हम बिना बारिश के बारिश का महत्व।
मैं यह नहीं कहती कि यह नजरों का फेर है,
पर गौर करें तो शायद अंतः चेतना का यही भेद है।

रहने देती हूं कई बार समय के साथ भागते रहने वाली दुनिया की दरकार,
कभी-कभी एकांत के सौरभ्यम् को अपने अंदर समाने के लिए।
जैसे सांसारिक शफरी पकड़ने वाले उस मछुआरे से बेहतर संतुष्टिपूर्ण है,
समुद्र के किनारे बैठ लहरों को निहारता हुआ चंचल सा एक बच्चा।
कि भागते दौड़ते इस संसार में कभी-कभी खुद के लिए ठहर जाया करने से,
ठहर नहीं जाती यह जिंदगी।
मैं यह नहीं कहती कि स्थायित्व से ही प्रकाश है,
परंतु गलत समय बतलाती घड़ी का चलते रहना भी तो निर्विवाद ही बेकार है।

रहने देती हूं कई बार खुद को अपने अवास्तविकता भरे ख्वाबों में,
खुद को खुद में खो देने की वास्तविकता महसूस करने के लिए।
जैसे सुनहरे आसमान के नीचे बैठ क्षण भर तुकबंदी कर लेने से,
भूल जाया करता है पथिक अपने दिनभर की थकान।
कि सपने देखना ही उन्हें सच करने की शुरुआत कहलाया करती है,
आसमानों पर हमेशा चला जा सकता है और जमीन पर भी उड़ान भरी जा सकती है,
क्योंकि छोटी सी है यह जिंदगी, सोचने भर से शुरुआत है।
मैं यह नहीं कहती कि खुद को झूठी कल्पनाओं से घेर लो यूं ही हर क्षण,
पर गौर करें तो अक्सर काल्पनिक सुख के पैर वास्तविक जीवन में भी मुस्कुराहट फैलाया करते हैं।

रहने देती हूं कई बार फूलों को यूंही धरती पर बिखरा हुआ,
टूटे हुए फूलों की भी सुगंध हवा में मिलाने के लिए।
जैसे हल्की सी सर्दी की धूप भी काफी है,
एक सोए हुए बीज को जगाने के लिए।
कि कभी काम की न लगने वाली चीज भी,
काम की साबित हो सकती है।
मैं यह नहीं कहती कि बाहर का सब कचड़ा भर लो पास अपने,
परंतु कभी अपने मन के भीतर का कचड़ा हटाकर तो देखो,
कि यूं ही नजरअंदाज कर देने वाली चीजों की भी सुंदरता दिखने लगेगी,
आंखों से अपनी 'रहने देने' वाला चश्मा हटा कर तो देखो।

- गरिमा सिंह
सुपुत्री श्री मदन सिंह
प्रबंधक (आई० टी० विभाग)
प्रधान कार्यालय

Pyrography Artwork (Burning Art)

शाखा धरमघर मे कार्यरत कार्यालय सहायक श्री विपिन कुमार की बहन कु० मीनाक्षी के द्वारा Pyrography Artwork (Burning Art) मे विभिन्न कलाकृति बनाई जाती है। इस क्षेत्र मे उनके द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है।

उनके द्वारा Pyrography Artwork (Burning Art) मे बैंक का प्रतीक चिन्ह भी बनाया गया है।

उनके द्वारा यह प्रतीक चिन्ह क्षेत्रीय कार्यालय चतुर्थ को भेंट किया गया है।

The Family is one of Nature's Masterpiece

Current Affairs in Banking Industry

- Monetary Policy Committee (MPC) on December 4 , 2020 decided to keep the policy repo rate unchanged at 4 per cent and maintains accommodative stance at least during current financial year. Consequently, the reverse repo rate under the LAF remains unchanged at 3.35 per cent and the marginal standing facility (MSF) rate and the Bank Rate at 4.25 per cent.
- RTGS is available round the clock on all days of the year (24x7x365) with effect from 00:30 hours on December 14, 2020.
- The limits for contactless card transactions and e-mandates for recurring transactions through cards (and UPI) from Rs. 2,000 to Rs. 5,000 from January 1, 2021.
- Regional Rural Banks will be allowed to access the Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF) of the RBI; and also the Call/Notice money market.
- The Lakshmi Vilas Bank Ltd. is amalgamated with DBS Bank India Ltd from November 27, 2020.
- The Reserve Bank of India on December 8, 2020 cancelled the licence of Maharashtra-based The Karad Janata Sahakari Bank. The central bank has cancelled the lender's licence with effect from the close of business on December 7, 2020, citing that it does not have adequate capital and earning prospects.
- Mobile App Interoperability: ICICI Bank open its mobile application to use by other bank's customers using the UPI platform.
- The RBI has directed HDFC Bank to temporarily stop all launches under its Digital 2.0 initiative and stop sourcing new credit card customers due to multiple outages in its internet banking, mobile banking and payment utility services over the past two years.
- RBI announces opening of second Cohort under the Regulatory Sandbox (RS) with 'Cross Border Payments,' as its theme.

मीडिया की नज़र में

30 ग्रामीणों को बांटा चालीस लाख रुपये का ऋण

काशीपुर। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक शाखा प्रतापपुर की ओर से एक ऋण शिविर का आयोजन किया गया। बुधवार को ग्राम प्रतापपुर में लगे शिविर में क्षेत्रीय प्रबंधक शैलेश नौटियाल ने ग्रामीणों को 40 लाख रुपये का ऋण बांटा। उन्होंने ग्रामीणों को विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। शाखा प्रबंधक लालता प्रसाद ने बताया कि ग्राम धनौरी, प्रतापपुर के तीस ग्रामीण पात्रों को करीब चालीस लाख के चेक बांटे गए। वहां पर वरिष्ठ अधिकारी सुनील आर्य, ऋण अधिकारी निधि, राजेश कुमार, लेखराज गौतम, मनदीप कौर, कुलवीर सिंह, जितेंद्र, गुरविंदर, गंगा प्रसाद शर्मा आदि थे। संवाद

स्थापना दिवस पर जरूरतमंदों को बांटे कंबल

पिथौरागढ़। सोमवार उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने 9वां स्थापना दिवस जरूरतमंदों की मदद कर मनाया। जिला मुख्यालय में बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक केएम शर्मा और महाप्रबंधक उद्योग के नेतृत्व में राजकीय महिला प्रशिक्षण केंद्र एवं कार्यशाला, खड़कोट में कार्यक्रम किया गया। आश्रित महिलाओं को कंबल, तौलिये, मास्क, फल वितरित किए गए। क्षेत्रीय प्रबंधक शर्मा ने बताया कि कि नवंबर 2012 को उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। जिला समाज कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने बैंक प्रबंधन का आभार जताया। इस मौके पर अधीक्षिका पूजा खत्री, सहायिका नेहा जोशी, वरिष्ठ बैंक अधिकारी विजय सिंह भंडारी, हिमांशु पंत समेत कई शामिल रहे। संवाद

45 स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा एक-एक लाख का ऋण

कोलीढेक में महिलाओं को पुरस्कृत करते ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक केएम शर्मा।

संवाद न्यूज एजेंसी

ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने दी बैंक योजनाओं की जानकारी

लोहाघाट (चंपावत)। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की पाटन शाखा की ओर से लोहाघाट के कोलीढेक में आयोजित शिविर में 45 महिला स्वयं सहायता समूहों के ऋण मंजूर किए गए। इस दौरान बैंक द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

रविवार को शाखा प्रबंधक दीपक चंद की अध्यक्षता में हुए शिविर का शुभारंभ बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक केएन शर्मा ने किया। उन्होंने महिला समूहों को दी जाने वाली सुविधाओं और बैंक की योजनाओं की जानकारी देते हुए महिलाओं को लघु बचत के लिए प्रेरित किया। शिविर में 45 महिला समूहों की 70 महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभी समूहों का एक-एक लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इस मौके पर महिलाओं को बैंक की ओर से उपहार दिए गए। लीड बैंक के केएस तड़ागी, निधि संस्था के संयोजक डॉ. सुनील पांडेय, पशु चिकित्साधिकारी डॉ. पीके सिंह के अलावा लोहाघाट, बदौखान, देवीधुरा बैंक शाखा के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। संवाद

योजनाओं की जानकारी दी

खटीमा। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक चकरपुर ने शुक्रवार को ग्राम कुटरी में जन जागरूकता शिविर लगाया। शिविर में क्षेत्रीय प्रबंधक शैलेष नौटियाल ने प्रेरणा, लक्ष्मी उन्नति समूह की महिलाओं को एक-एक लाख का कैश क्रेडिट ऋण दिया। बैंक प्रबंधक प्रकाश सिंह ने बताया कि चकरपुर ग्रामीण बैंक की ओर से 60 किसानों को डेयरी के लिए 43 लाख रुपये लिमिट बनाई गई है। वहां सोनी भट्ट, निर्मला देवी, भागरथी देवी, बसंती देवी, विमला देवी, प्रभा, पूजा आदि थे। संवाद

चेक देते बैंक अधिकारी।

स्वरोजगार के लिए महिलाओं को ऋण

टनकपुर | हमारे संवाददाता

टनकपुर-बनबसा के पांच ग्राम सभाओं में बने समूहों को स्वरोजगार के लिए सीसीएल ऋण स्वीकृत किए गए हैं। शनिवार को आजीविका मिशन के तहत कैंप का आयोजन किया गया।

कैंप में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के प्रबंधक दीपक पांडेय के सहयोग से ग्राम पंचायत छीनीगोठ और नायकगोठ समूह की महिलाओं के लिए एक-एक लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एक-एक लाख, ग्राम पंचायत ग्वालखेड़ा के समूह की महिलाओं को पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक से एक-एक लाख रुपये और बनबसा ग्रामीण बैंक से पचपकरिया में तीन समूहों को एक-एक लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है।

सहायक खंड विकास अधिकारी ने कैंप आयोजन में ऋण को समय पर भुगतान करने के तरीके बताए। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक दीपक पांडेय ने एनआरएलएम की बैठक में महिलाओं से हिस्सा लेने का आग्रह किया।

शनिवार को समूह की महिलाओं का कैंप लगाकर ऋण स्वीकृत कराया गया।

संरक्षकः श्री राकेश तेजी (अध्यक्ष)
सम्पादक मण्डलः श्री ईश्वर सिंह (महाप्रबन्धक–प्रशासन), श्री विनय कुमार खत्री (महाप्रबन्धक–प्रथम),
श्री सुनील कुमार सिंह (महाप्रबन्धक–द्वितीय), श्री नंद किशोर नौटियाल (विभागाध्यक्ष मा.सं)
संयोजकः श्री आदेश कुमार गुप्ता (विभागाध्यक्ष योजना)

नोटः संप्रेषण में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार सम्बन्धित रचनाकारों के स्वयं के हैं, जिनसे बैंक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। यह बैंक की गृह पत्रिका है जिसका प्रकाशन बैंक में आन्तरिक वितरण हेतु है तथा इसमें बैंक कार्मिकों तथा उनके परिवारों की रचनाऐं स्वीकार की जाती है। समस्त कार्मिक अपनी अभिव्यक्तियाँ/लेख इत्यादि प्रेषित कर अधिकाधिक सहभागिता करें। इस सम्बन्ध में किसी भी पत्राचार हेतु उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, योजना विभाग, प्रधान कार्यालय, 18 न्यू रोड, देहरादून से सम्पर्क कर सकते हैं।

दूरभाषः 0135–2710660/61 ईमेलः ugb.plg@rediffmail.com

The first step toward change is awareness. The second step is acceptance.-Nathaniel Branden